# नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

# NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

जय हिन्द

न.नि.प्रा. / क्षे. कार्या., इन्दौर / कार्या.व्यवस्था / 2017–18 / 03 / 36-44 दिनांक : 10.04.2018

प्रति,

मेसर्स कामथेन सिक्योरिटी सर्विसेस,
23,द्वितीय तल,राज प्लाजा,
संयोगितागंज इन्दौर।

विषयः नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, के विभिन्न कार्यालयों में सॉफ्ट वेयर डेवलपर, कम्प्युटर आपरेटर की सेवाएँ एवं हॉउस किपींग से संबंधित सेवाएँ सह सफाई सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश।

सन्दर्भः 1. **निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक** : न.नि.प्रा. / क्षे. कार्या., इन्दौर / कार्या. व्यवस्था / 2017–18 / 03 दिनांक : **28.09.17**
2. **इस कार्यालय का अभिप्राय पत्र** क्र :न.नि.प्रा. / क्षे. कार्या. इन्दौर / कार्या. व्यवस्था / 2017–18 / 03 / 7–8 दिनांक :–2 / 4 / 18
3. **आपका सहमति पत्र क्र. निरंक दिनांक : 08.04.2018**

महोदय,

इस कार्यालय के द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के इन्दौर स्थित नर्मदा सदन के कार्यालयों में सॉफ्ट वेयर डेवलपर, कम्प्युटर आपरेटर की सवाए एवं हॉउस किपींग की सेवाएं सह सफाई साम्रगी ग्यारह माह के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एतद् द्वारा कार्यादेश दिया जाता है। यह कार्यादेश आपके कार्य प्रारंभ की तिथि से ग्यारह माह के लिए कुल अनुमानित राशि **10,34,471/– (रू. दस लाख चौतिस हजार चार सौ एकहत्तर मात्र)** के लिए है। उपरोक्त निविदा में आपके द्वारा दिए गए के सॉफ्ट वेयर डेवलपर, कम्प्युटर आपरेटर की सेवाएँ एवं हाउस किपींग से संबधित सहसाम्रगी की दरें स्वीकृत की जाती है

1. प्रत्येक कर्मियों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते क्रमांक का विवरण भविष्य निधि विभाग से सत्यापित करवाकर सम्बद्ध कर्मियों के तैनाती के 45 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक कर्मी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवायें जाने वाली राशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी भविष्य निधि जमा कराने की यह प्रकिया आपको अपने कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व एवं उत्तरदायित्व (जिसमें भविष्य निधि नियमितिकरण कर्मचारियों के द्वारा आहरण भी सम्मिलित है) से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगी तथा ऐसे प्रकरणों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भी दायित्व नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि विभाग से कर्मचारियों के अंशदान संबंधित चालान निर्धारित समयावधि में जमा करवाना होगा। कर्मचारियों के ई.एस.आई. कार्ड तैनाती के 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
2. तैनाती संलग्न विवरण के अनुसार किया जाना होगा। विवरण में दिए गए कर्मियों से अधिक की तैनाती सक्षम अधिकारी के लिखित निर्देश दिए जाने के उपरान्त ही की जानी होगी।
3. **तैनात किए जाने वाले कर्मीयो की सूची उनका बायॉडाटा इत्यादि संबंध कर्मियों की तैनाती के 15 दिन के अंदर कार्यालय में जमा करवाए।**

NCA



4. तैनात किए गए कर्मियों के पुलिस सत्यापन हेतु प्रत्येक कर्मचारी का विवरण सम्बन्धित पुलिस थाना में एक माह के अंदर जमा करके उसकी एक प्रति यथाशीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. सॉफ्ट वेयर डेवलपर, कम्प्युटर आपरेटर एवं सफाई कर्मीयो की तैनाती निविदा में उल्लेखित माप दण्डों अनुसार होगी।
6. **उपरोक्त सेवाओं या अनुबंध संबंधी किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार और अनुपालन करवाने के लिये निदेशक (सिविल), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण भवन खण्ड प्राधिकृत अधिकारी होंगें।**
7. निविदा अनुबंध में दी गई समस्त निर्बन्धों एवं उपलब्धों तथा समय–समय पर जारी किए गए वैधानिक नियमों व कानूनों व उनमें किए गए संशोधनों का आपके द्वारा अनुपालन किया जाना होगा आवश्यक होगा तथा आपके किसी भी दायितवों एवं नियम अवहेलना के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
8. **आपके द्वारा न.नि.प्रा. इन्दौर के पक्ष में किया गया एफ.डी.आर. क्र. 8625508391–9 दिनांक 04.04.2018 रू. रू. 103500/– (रू. एक लाख तीन हजार पॉच सौ मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।**
9. **यह पत्र अनुबंध का भाग माना जावेगा।**
10. **यह कार्यादेश दिनांक 16.04.2018 से प्रभावी होगा।**

भवदीय

(अनिल जोशी)
निर्देशक (सिविल)

**प्रतिलिपि : सूचनार्थ।**

1. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
2. सदस्य (विद्युत)/सदस्य(पर्या.एवं पुर्न.), न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
3. सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
5. वित्त अधिकारी, न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
6. सहायक निदेशक (भवन) इन्दौर को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार वर्तमान जनशक्ति अनुबंध से संबंधित सभी कार्य (Verification & Payment, Processing of Bill, Deployment इत्यादि ) आपके द्वारा निदेंशक (सिविल) के निर्देशन में संपादित किये जायेंगें।
8. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।